दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 17 जुलाई, 2013

सं. 25/डीएचसी/गजट/जी-8/2013. — माननीय मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली न्यायिक सेवा के एक अधिकारी, श्री तरुण कुमार सहरावत, को अपना नाम ''तरुण कुमार सहरावत'' से ''तरुण सहरावत'' परिवर्तित करने की अनुमति सहर्ष देते हैं तथा आदेश देते हैं कि अब से वह ''तरुण सहरावत'' के नाम से जाने जायेंगे ।

आदेशानुसार,

आर. किरण. नाथ, निबन्धक (सतर्कता)

HIGH COURT OF DELHI: AT NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 17th July, 2013

No. 25/DHC/GAZ./G-8/2013.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to permit Sh. Tarun Kumar Sahrawat, an officer of Delhi Judicial Service, to change his name from "Tarun Kumar Sahrawat" to "Tarun Sahrawat" and order that henceforth he will be known as "Tarun Sahrawat".

By Order,

R. KIRAN NATH, Registrar (Vigilance)

सहकारिता विभाग

कार्यालय पंजीयक सहकारी समितियाँ

अधिसूचना

दिल्ली, 22 अगस्त, 2013

सं. फा. 47/983/जीएच/साउथ वेस्ट/सहकारिता/1105.— दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम की धारा 127 (दिल्ली अधिनियम-2004 का 3) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, शिवालिक सहकारी समूह आवास समिति लि. (सं.983/जीएच) सं. अधि. की धारा 37(1)(ख) दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 2003 (दिल्ली अधिनियम-2003) के प्रावधानों से उन्मुक्त करते हैं, तथा तदनुसार उक्त समिति की अतिक्रमण की अविधि व प्रशासक के कार्यकाल की अविधि एक वर्ष जो 25-09-2012 से 24-09-2013 अथवा जब तक कि तथाकथित समिति में प्रजातांत्रिक व्यवस्था पुनर्स्थापित हो जाने तक में जो भी पहले हो, तक बढाई जाती है।

दिल्ली सहकारी नियम, 2007 के नियम 54(एच) के प्रावधानों के अनुसार जल्दी से जल्दी प्रबंध सिमित के बहाली हेतु, प्रबंध सिमिति में विभिन्न पदों के चुनाव लड़ने के लिए शिवालिक सहकारी समूह आवास सिमिति के नए नामांकित सदस्यों को छूट प्रदान की जाती है।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर, विश्व मोहन, अतिरिक्त सचिव सहकारी समितियाँ

CO-OPERATIVE DEPARTMENT

OFFICE OF THE REGISTRAR CO-OPERATIVE SOCIETIES

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd August, 2013

No. F. 47(983)/GH/SW/Coop/1105.—In exercise of the powers conferred by Section 127 of Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby exempts the SHIVALIKA CGHS LTD. (983/GH) from the provision of 37(1)(b) of DCS Act, 2003 and accordingly extend the period of supersession of the Managing Committee and the term of the Administrator of the said society for a period of one year from 25.09.2012 to 24.09.2013 or till the democratic set-up is restored whichever is earlier.

Further, the provisions of Rule 54(h) of the DCS Rules, 2007 has also been exempted in the SHIVALIKA CGHS LTD. (983/GH) thereby enabling the newly enrolled members to contest for various posts in the Managing Committee to facilitate the restoration of the elected Managing Committee in the society at the earliest.

By Order and in the Name of the Lieutenent Governor of the National Capital Territory of Delhi, VISHVA MOHAN, Addl. Secy. (Co-op.) Societies